

ROAD 12.0 MT. WIDE

JDA APPROVED MAP
"RIYASAT SITARAMPURA EXTENSION"

PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"THE SITARAMPURA WING"
IN KHASRA NO.- 702/457, 700/456, 698/455.
AT VILLAGE :- SITARAMPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.



1429
B
11.7.24.

PARK

FACILITY

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 7.50 MT. WIDE

APP. ROAD 7.50 MT. WIDE
(PROPOSED ROAD 9.0 MT. WIDE)

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

खसरा सुपरइम्पोज किया गया
701/456

राजस्थान पत्रावली संख्या LU2012/JDA/2023-24/102982-02385 के पैरा /N अनुसार योजना में मानचित्र विकास कार्य के पेटे रहन रखे गये 12.50% क्षेत्रफल 546.21 वर्गमीटर में से 8.67% विजल कार्य पूर्ण होने पर भूखंड संख्या 12, 13, 33 व 34 कुल भूखंड 04 क्षेत्रफल 38.83 वर्गमीटर को रहन मुक्त किया जाएगा तथा शेष भूखंड संख्या 35 व 36 कुल भूखंड 02 क्षेत्रफल 167.38 वर्गमीटर यथावत रहन रहेगा।

DTP- ZONE-14. DC-ZONE-14 699/455

नोट-

- राजस्थान पत्रावली संख्या LU2012/JDA/2023-24/102982-02385 के पैरा /N अनुसार योजना में मानचित्र विकास कार्य के पेटे रहन रखे गये 12.50% क्षेत्रफल 546.21 वर्गमीटर में से 8.67% विजल कार्य पूर्ण होने पर भूखंड संख्या 12, 13, 33 व 34 कुल भूखंड 04 क्षेत्रफल 38.83 वर्गमीटर को रहन मुक्त किया जाएगा तथा शेष भूखंड संख्या 35 व 36 कुल भूखंड 02 क्षेत्रफल 167.38 वर्गमीटर यथावत रहन रहेगा।
- राजस्थान पत्रावली संख्या LU2012/JDA/2023-24/102982-02385 के पैरा /N अनुसार योजना में मानचित्र विकास कार्य के पेटे रहन रखे गये 12.50% क्षेत्रफल 546.21 वर्गमीटर में से 8.67% विजल कार्य पूर्ण होने पर भूखंड संख्या 12, 13, 33 व 34 कुल भूखंड 04 क्षेत्रफल 38.83 वर्गमीटर को रहन मुक्त किया जाएगा तथा शेष भूखंड संख्या 35 व 36 कुल भूखंड 02 क्षेत्रफल 167.38 वर्गमीटर यथावत रहन रहेगा।
- योजना की भूमि में राशुरा अधिनियम की पारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग यू-2 एचआईजेड दर्शित है।
- योजना दा सीतारामपुरा विंग का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 353वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में किया गया है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राकानन नॉटिफे के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी (एलपी) द्वारा जारी यूओ नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
- योजना मानचित्र टॉनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- योजना 2 हेक्टेयर से कम होने के कारण ओवरलैप/एलआईजी के एंजज में राशि ली गयी है।
- प्रस्तावित योजना के भूखंडों पर पैरामीटर जॉडिफा विनियम 2020 के अनुसार देय होगे।
- आन्तरिक विकास कागज की एंजज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भूस 12, 13, 33, 34, 35, 36 कुल भूखंड 06 कुल क्षेत्रफल 546.21 वर्ग मीटर रहन रखा गया है।

ILRPATWARI
(ZONE-14)

DTP
(ZONE-14)

TDR
(ZONE-14)

D.C.
(ZONE-14)

STP
B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
अनुसंधान सुपारी की विनियम शिर्षी :-
1. कुल आवासीय भूखंड = 38
2. कुल भूखंड = 01

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	3925.16	51.73 %
2	INFORMAL	163.75	02.16 %
TOTAL = (1+2)		4088.91	53.89 %
3	PARK	407.26	05.37 %
4	S.W.M.	50.04	0.66 %
5	MOBILE TOWER	10.02	0.13 %
6	PU (TOILET)	10.48	0.14 %
7	ROAD	3020.29	39.81 %
TOTAL = (3 TO 7)		3498.09	46.11 %
		7587.00	100.00 %

SCHEME AREA 0.7587 HECT.

योजना की भूमि की राशुरा अधिनियम की पारा 90 ए की कार्यवाही एवं नौके पर भूमि का प्रमाणिकरण कर जारी किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में विकसित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार उपायुक्ता जोन- बीपीसी / जी.एल.सी. की बैठक संख्या दिनांक जो अनुमोदन में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:- PROPOSED LAYOUT PLAN OF "THE SITARAMPURA WING" IN KHASRA NO.- 702/457, 700/456, 698/455 AT VILLAGE :- SITARAMPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR

जोन संख्या :- 14

दिनांक :- 1500

सहायक नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT: Cad Max PROJECTS (P) LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031